न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 198 **/2017**

1. वंशवीर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये माता श्रीमती मनदीप कौर।
2. मनदीप कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 24.10.2017**

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी संख्या 1 वंशवीर सिंह नाबालिग है, प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की कुदरती वली माता तथा प्राकृतिक संरक्षका है तथा वादी संख्या 1 के हितार्थ समस्त कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इसलिए वादी संख्या 1 की ओर से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रही है।

प्रतिवादी संख्या 1, वादी संख्या 1 का पिता व 2 का पति है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 1 एफ छोटी का खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि व चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 में से 3.036 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात गाल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन प्राप्त पैतृक भूमि है। नकल जमाबन्दीयां व इन्तकाल संलग्न वाद पत्र है।

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 1 को चक 1 एफ छोटी के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि व वादिया संख्या 2 को चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मे से अपनी 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

यह कि कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.09.2017 प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से वादी संख्या 1 को चक 1 एफ छोटी के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि का व वादिया संख्या 2 को चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मे से 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 24.10.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय कुमार जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादी का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार से उनका हिस्सा दे दिया है :–

1. वादी वंशवीर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह का हिस्सा :– चक 1 एफ छोटी के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि।
2. वादिया मनदीप कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी की कुल 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर भूमि।
3. प्रतिवादी सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी की कुल 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर भूमि।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। वादिया मनदीप कौर वादी वंशवीर सिंह (नाबालिग) की कुदरती वाली माता है तथा नाबालिग वंशवीर सिंह के हितार्थ समस्त कार्यवाही करने में सक्षम है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

लगातार 4

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 1 एफ छोटी का खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि व चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 में से 3.036 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसको उभपक्ष द्वारा पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार किया है इस कारण वाद वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या एक को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :–

1. वादी वंशवीर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह का हिस्सा :– चक 1 एफ छोटी के खाता संख्या 100/29 का मुरब्बा नम्बर 1, 2, 9 व 49 की कुल 2.720 हैक्टर में से 0.481 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादिया मनदीप कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी की कुल 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह का हिस्सा :– चक 11 एच.एच. के खाता संख्या 9/7 का मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 6.174 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी की कुल 3.036 हैक्टर में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.10.2017 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर